न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16/28/2025	2025/12	08.01.2025	13.05.2026

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भू0अ0) अलवर, जिला अलवर राज०।

–प्रार्थी

बनाम

1. भम्बोली पुत्र मायाराम जाति चमार सा0 सावडी – मृतक।
   1/1–सुखबाई पत्नी स्व. भम्बोली,
   1/2–रामजीलाल पुत्र स्व. भम्बोली,
   1/3–मुरारीलाल पुत्र स्व. भम्बोली,
   निवासीयान ग्राम साहोडी तहसील व जिला अलवर राज0।
   1/4–अंगूरी पुत्री स्व. भम्बोली पत्नी रामचन्द्र निवासी ग्राम करिरिया तह0 रामगढ़ व जिला अलवर राज0।
   1/5–बबीता पुत्री स्व. भम्बोली पत्नी बनवारी, निवासी ग्राम करिरिया तह0 रामगढ़ व जिला अलवर राज0।
   1/6–सविता पुत्री स्व. भम्बोली पत्नी रामकिशोर, निवासी ग्राम खेडला तह0 मालाखेडा व जिला अलवर राज0।

–अप्रार्थीगण

अपील प्रार्थना पत्र जेर नियम 14 (4)
भू–आवंटन नियम, 1970

उपस्थितः–
01–श्री दीपक मीणा, राजकीय अभिभाषक –वकील प्रार्थी
02– अप्रार्थी अनुपस्थित।

–ःनिर्णयः–

तहसीलदार अलवर ने जरिये राजकीय अभिभाषक यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम–14 (4) भूमि आवंटन नियम जिसके द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में ग्राम ढहलावास, तहसील व जिला अलवर की आराजी खसरा न0 1141 रकबा 0.45 है0, 1142 रकबा 0.31 है0 कुल रकबा 0.76 हैक्टेयर भूमि का आंवटन किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अप्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित।

प्रार्थी की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आराजी हाल खसरा नं. 1141 रकबा 0.45 है0, 1142 रकबा 0.31 है0 कुल रकबा 0.76 हैक्टेयर किस्म बारानी–2 भूमि वाके ग्राम ढहलावास, तहसील व जिला अलवर सन् 1970 के बाद अप्रार्थी को वास्ते कृषि कार्य के लिए आवंटन किया गया था। अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटन होने के बाद आवंटन की शर्तों के मुताबिक अप्रार्थी द्वारा उसकी पालना नहीं की गई है ना ही आवंटी का आवंटन के समय कब्जा रहा है। जिस बाबत पटवारी हल्का ढहलावास की रिपोर्ट दिनांक 13.11.2024 से स्पष्ट रूप से जाहिर व साबित है कि मौके पर अप्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा ना ही मौके पर फसल पाई गई। अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को आवंटन होने के बाद काम मे नहीं लिया गया है। जिससे अप्रार्थीगण द्वारा राज0 कृषि भूमि आवंटन नियम 1970, नियम 14 (4) के तहत निरस्त किया जाना अति आवश्यक है। पटवारी हल्का रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

उक्त आराजी राजस्व ग्राम ढहलावास तहसील अलवर में स्थित है तथा ग्राम ढहलावास राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 3(34)वन/2007 दिनांक 09.07.2012 से सरिस्का व्याघ्र आरक्षित के मध्यवर्ती क्षेत्र के रूप में अधीसूचित क्षेत्र है। अतः श्रीमान प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है की आवंटन सन् 1970 के बाद जो आवंटन अप्रार्थी को आराजी हाल खसरा नं. 1141 रकबा 0.45 है0, 1142 रकबा 0.31 है0 कुल रकबा 0.76 हैक्टेयर किस्म बारानी–2 भूमि वाके ग्राम ढहलावास, तहसील अलवर का किया गया था, उसे निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर दिए जा चुके है, के बावजूद जवाब पेश नहीं किया गया है। अतः अप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाकर प्रार्थी की बहस सुनी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। मुताबिक रिकॉर्ड उक्त विवादित आवंटित आराजी साबिक खसरा नंबर 628 मी. रकबा 3 बीघा व हाल खसरा न0 1141 रकबा 0.45 है0, 1142 रकबा 0.31 है0 कुल रकबा 0.76 हैक्टेयर भूमि के आवंटी/अप्रार्थी के पिता भम्बोली पुत्र मायाराम कौम चमार सा. सावडी हिस्सा पूर्ण गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली में संलग्न नामान्तकरण संख्या 174 दिनांक 30.05.77 द्वारा साबिक खसरा नंबर 628 मी. रकबा 3 बीघा व हाल खसरा न0 1141 रकबा 0.45 है0, 1142 रकबा 0.31 है0 कुल रकबा 0.76 हैक्टेयर भूमि का भम्बोली पुत्र मायाराम कौम चमार सा. सावडी हिस्सा पूर्ण गैर खातेदार का दर्ज व स्वीकृत किया गया। पत्रावली में संलग्न पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा/आराजी पर मूल आवंटी/अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं है तथा दीगर व्यक्तियों का कब्जा काश्त है। उक्त आवंटन राजस्व ग्राम ढहलावास तहसील अलवर में किये गये है, जो राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 3(34) वन/2007 दिनांक 06.07.2012 से बाघ परियोजना सरिस्का के बफर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित/घोषित है। बफर क्षेत्र घोषित होने के कारण राजस्थान भूराजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के अनुसार आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश निरस्त योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) भू0आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी/अप्रार्थीगण के पिता भम्बोली पुत्र मायाराम कौम चमार सा. सावडी तहसील व जिला अलवर एवं बाद आवंटी वारिसानों को हाल खसरा नंबर 1141 रकबा 0.45 है0, 1142 रकबा 0.31 है0 कुल रकबा 0.76 हैक्टेयर भूमि का किया गया आवंटन आदेश निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

(बीना महावर)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)